भारत सरकार

भारत का विधि आयोग

प्रभावशाली सार्वजनिक व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामलों का शीघ्र अन्वेाण और ि वचारण

रिपोर्ट सं. 239

रिट याचिका (सिविल) सं. 341/2004 विरेन्दर कुमार ओहरी बनाम भारत संघ और अन्य वाले मामले में उच्चतम न्यायालय का प्रस्तुत

मार्च 2012

# रिट याचिका (सिविल) सं. 341/2004 विरेन्द्र कुमार ओहरी बनाम भारत संघ और अन्य भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट वाय-सूची

μÉE àÉ	ÉÊ´É´É®hÉ	{Éß~ °ÉÆJªÉÉ
aŁ °ÉÆ		EÆJ"EE
1	{ÉÉÊ®SɪÉÉiàÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ	4 - 7
2	ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉ BÉEÉ®hÉ – ABÉE ÉÊ´ÉcÆMÉàÉ	7 - 8
	oÉÎ]	
3	+Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉè®  ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ	9
4	ÉÉÉSÉÉ®hÉ xªÉɪÉÉãɪÉÉå àÉå	10 - 12
	+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ  ÉMÉÉÊiÉ	10 12
	àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ	
5	BªÉÉ{ÉBÉE  ɶxÉ	12 - 13
6	°ÉÉ ÉÇVÉÉÊXÉBÉE VÉÉÒ ÉXÉ BÉEB ELÉÉÉ	13 - 14
7	ɶÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDIÉ– Én¶ÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ =SSÉ °É®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÀÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÄ ÉÊ	14 - 15
'	=SSE *E@BEEE@EO BEEaEÇSEE@EO BEEa EE 'Éâór àÉÉàÉãÉä	14 - 15
8	É£ÉɴɶÉÉãÉÉÒ °ÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE	15 - 18
	BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® oÉÎ] ®JÉxÉä	
	BÉEä {ÉÉÒUä iÉBÉEÇhÉÉ – {ÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ	
	´É{ÉFÉ iÉBÉEÇ	
9	ÉÊ É¶É aÉ xªÉÉªÉ aɪÉ	18 - 19
10	+ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ oÉÎ- 1BÉEÉähÉ	19 - 20
11	ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ ÉÊBÉEA	20 - 22
111	VÉÉxÉä BÉEä {ɶSÉÉIÉ {ÉÖÉÊãÉ°É uÉ®É	20 22
	ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÈÉãÉä ={ÉɪÉ	
12	àÉÉàÉãÉÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊÉSÉÉ®ÉIÉÇ cÉäxÉä	22 - 25
	BÉEÄ (ɶSÉÉIÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉÄ 'ÉÉÃÉÄ ={ÉɪÉ	
12	(ÉÊ'ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ)	26 - 28
13	xªÉɪÉÉãÉªÉ báÉÚ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÎxciÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÈÌAÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ	26 - 28
	ÉPÉBÉEIÉÉ	
14	+ÉÉʣɪÉÉäVÉxÉ iÉÆjÉ BÉEÉ	29
	°É¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ	
15	xªÉɪÉÉãɪÉÉå BÉEÉÒ °ÉÆJªÉÉ àÉå ÉßÉÊr +ÉÉè®	29 - 31
1.6	ÉÊ®ÉÎBÉDiɪÉÉÅ BÉEÉ £É®É VÉÉxÉÉ	21 22
16	+ÉxªÉ àÉÖqå	31 - 32
17	+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉä °ÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉÉªÉ :	32
<u> </u>	DEDA TEX E ABOLE (EQUIE) = (EE E .	

	(BÉE) {ÉÖÉÊãÉ°É lÉÉxÉÉå {É® iÉBÉExÉÉÒBÉE	32 - 33
	BÉEÉ ÉȴɰIÉÉ®	34 - 35
	(JÉ) nÆb xªÉɪÉÉãɪÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ,	
	+ÉÉÉÊn BÉEÉ °É¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ	
18	={ÉɤɯvÉ (nÆb  ÉÉʵÉEªÉÉ °ÉÆÉÊciÉÉ àÉå	36
	BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={ɤɯvÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ® ÉvÉÇxÉ)	

#### परियचात्मक टिप्पणी

- 1.1 गंभीर अपराधों वाले आपराधिक मामलों में अन्वाण और अभियोजन तथा न्यायालयों में ऐसे मामलों के विचारण में काफी विलंब हमारी न्याय प्रणाली पर एक दाग है । तद्द्वारा, दंड विधि का उद्देश्य और युक्तियुक्त शीघ्रता के साथ अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक विधि को गतिमान रखने का सामाजिक हित विफल होता है । आम समाज पर विलम्ब का प्रतिकूल प्रभाव अपरिमेय है । विधि का भय और आपराधिक न्याय प्राणाली में आस्था असुधार्यतः समाप्त हो रही है ।
- 1.2 इस रिट याचिका में निर्दिट मामला आपराधिक न्याय प्रक्रिया की धीमी गित और वह सीमा जहां तक इसे बिगाड़ा जा सकता है, का उत्कृट उदाहरण है । यह आपराधिक न्याय प्रशासन से संबद्ध उन सभी लोगों की प्रकट उदासीनता दर्शाता है । यह तथ्य कि राजनैतिक शक्ति और उनके अनुचर इस मामले में अंतर्वलित हैं, विवाद्यक के आयाम को बढ़ा देता है और गंभीर आपराधिक आरोपों को झेल रहे ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों की युक्तियों का विरोध करने के लिए विद्यमान प्रणाली और पद्धितयों की प्रभा वशीलता पर प्रश्न पैदा करता है ।
- 1.3 लोकहित की यह मांग है कि विशाकर गंभीर अपराधों से संबंधित आपराधिक मामलों को युक्तियुक्त समय के भीतर समाप्त किया जाए जिससे कि दोी व्यक्तियों को दंडित किया जा सके । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त की दृटि से भी शीघ्र विचारण का अधिकार एक मूल अधिकार है । लोग प्रणाली से हतोत्साहित हो जाते हैं यदि प्रत्येक प्रक्रिम पर विलंब हो और न्याय की प्रक्रिया को अपने सामान्य अनुक्रम में न चलने दिया जाए, और तो और, जब प्रक्रिया को बिगाड़ने और विलंबित करने का जानबूझकर प्रयास किया जाए । इसके अतिरिक्त, अधिक समय बीतने से, जो साक्ष्य रहते भी हैं, वे नट हो जाएंगे या निस्तेज हो जाएंगे । मौखिक साक्ष्य जो अधिकांश मामलों में अभियोजन के लिए महत्वपूर्ण हैं, भ्रान्त या विकृत हो जाएंगे । प्रणाली में समय बीतने के साथ-साथ पक्षद्रोही साक्षियों या कुछ याददाश्त वाले साक्ष्यों की अधिकता हो जाएगी । मौखिक साक्ष्य पर अधिक अवलंब से खामियां पैदा हो रही हैं । अन्वाण में विशाता की कमी और सतत् प्रयास तथा अन्वाण में वैज्ञानिक तरीकों के अनुपयोग के परिणामस्वरूप दोासिद्धि की दर कम है और यहां तक कि निर्दोा अभियुक्तों को फंसाया जाता है ।
- 1.4 विनिर्दिट समस्या पर विचार-विमर्श करने के पूर्व, जिला और अधीनस्थ न्यायालय, जिला और सेशन में लंबित मामलों के प्रति निर्देश से देश के आपराधिक न्याय के सामान्य परिदृश्य के कतिपय आंकड़ों को निर्दिट करना उपयोगी होगा ।
- 1.5 जिला और सेशन न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक मामलों की कुल संख्या लगभग 1.90 करोड़ (190 लाख) है और लगभग  $82\frac{1}{4}$  लाख सिविल मामलें लंबित हैं । इसका यह अर्थ है कि आपराधिक मामलों की संख्या सिविल मामलों की संख्या की तुलना में लगभग  $2\frac{1}{2}$  गुना है । आपराधिक मामलों की अधिकतम संख्या

- उ. प्र., महाराट्र, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, बिहार, राजस्थान और उड़ीसा<sup>1</sup> राज्यों से है । 12 राज्यों में जिनमें से आठ प्रमुख राज्य हैं, निपटान की संख्या संस्थित किए जाने से कम है । तथापि, कुल मिलाकर, वां 2010 में संस्थित किए जाने और निपटान किए जाने की संख्या लगभग समान है । लंबित आपराधिक मामलों में से, लगभग 25% मामले कई राज्यों में पांच और अधिक वाां से लंबित हैं ।
- 1.6 र्वा 2010 की समाप्ति पर, भा. दं. सं. के अधीन 72.58 लाख संज्ञेय आपराधिक मामलों के विचारण<sup>2</sup> लंबित थे और विशा और स्थानीय विधियों के अधीन 48.54 संज्ञेय आपराधिक मामले के विचारण<sup>3</sup> लंबित थे । उस र्वा में लगभग 55.88 लाख मामलों (भा. दं. सं. और विशा और स्थानीय विधि) के विचारण को अंतिम रूप दिया गया ।
- 1.7 र्वा 2010 के अपने प्रकाशन में राट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार विभिन्न दंड न्यायालयों में <sup>4</sup> र्वा 2010 के आरंभ में भी दं. सं. और ि वशो/स्थानीय विधियों के अधीन दर्ज मामलों सिहत 1.78 करोड़ से अधिक संज्ञेय आपराधिक मामले विचारण के लिए लंबित थे । भा. दं. सं. के अधीन 22.25 लाख अपराध और विशो/स्थानीय विधियों के अधीन 45.26 लाख अपराध को मिलाकर 67.51 लाख संज्ञेय अपराध 2010<sup>5</sup> में दर्ज किए गए । विचारण के लिए लंबित मामलों से संबंधित आंकड़ों का प्रकटतः उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकाशित 'कोर्ट न्यूज' में दर्शित आंकड़े और उच्च न्यायालयों द्वारा भारत के विधि आयोग को प्रस्तुत आंकड़ों से मेल नहीं खाता और इस पहलू की फिर से जांच की जा रही है ।
- 1.8 र्वा 2010 में, भ्रटचार निवारण अधिनियम और भा. दं. सं. की संबंधित धाराओं के अधीन पिछले र्वा से 6330 मामलों का अन्वेगण लंबित है और इस र्वा के दौरान 3822 मामले दर्ज किए गए । अतः, 2010 में कुल 10152 मामलों का अन्वेगण लंबित था जिसमें से 2929 मामले में आरोप पत्र फाइल किया गया । इन मामलों के संबंध में जिसमें से 4578 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया । 3379 व्यक्तियों

<sup>1</sup> उच्च न्यायालयों से प्राप्त आंकड़ा.

<sup>2</sup> राट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, 2010 सांख्यिकी भारत में अपराध सारणी 4.9.

<sup>3</sup> वही, सारणी 4.13.

<sup>4</sup> वही, सारणी 409 और 4.13.

<sup>5</sup> वहीं, एक झलक - 2010 के आंकड़े.

<sup>6</sup> वही सारणी 9.1.

का विचारण पूरा किया गया जिनमें से 891 व्यक्तियों को दोासिद्ध किया गया । अतः, र्वा 2009 में भ्रटचार निवारण अधिनियम के अधीन अभियुक्त व्यक्तियों के बनिस्बत दो। सिद्धि की दर 26.4% है ।

- 1.9 2010 में हत्या, बलात्कार, दंगा आदि करने के प्रयास जैसे उग्र अपराधों के लिए दोासिद्धि दर 27.7% है । वी 2010 में, महिलाओं के विरुद्ध अपराध (भा. दं. सं. और विशे।/स्थानीय विधि मामले) की दोासिद्धि दर 27.8% है । भा. दं. सं. के अधीन सभी संज्ञेय मामलों की दोासिद्धि दर 40.7% है ।
- 1.10 झारखंड राज्य में (जिसका विशे उल्लेख करने की आवश्यकता है क्योंकि इस रिट याचिका में उस राज्य का विनिर्दिट प्रतिनिर्देश किया गया है) लगभग 2.41 लाख आपराधिक मामले लंबित हैं । उस राज्य में सिविल और आपराधिक मामलों की कुल लंबित संख्या लगभग 2.93 लाख है । आपराधिक मामलों में से सेशन मामले समेत 60,500 मामले पांच वर्ष से अधिक समय से पुराने हैं । 31 दिसम्बर, 2010 को झारखंड राज्य में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में कुल 192 रिक्तियां थीं ।
- 1.11 हर र्वा, कुछ राज्यों के सिवाय पुराने मामले सहित आपराधिक मामलों के लंबित होने में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति ध्यान में आयी है ।
- 1.12 (2009 तक) कारागारों की कुल संख्या 1374 है और भारत में सभी कारागारों की कुल क्षमता 3,07,052 है । तथापि, 31.12.2009 को संवासियों की कुल संख्या 3,76,969 है । यह दर्शाता है कि कारागार संवासियों की संख्या भारत में कारागारों की क्षमता से अधिक है । उनमें से कारागार जनसंख्या के 66.4% वाले 2,50,204 संवासी विचारणाधीन कैदी हैं । उनमें से, विचाराधीन कैदियों की अधिकतम प्रतिशतता (20%) हत्या के आरोपी थे । 2422 (1%) विचाराधीन कैदी वी 2009 की समाप्ति पर 5 वी से अधिक समय से कारागार में निरुद्ध थे<sup>11</sup> ।

#### 2. विलंब के कारण – एक विहंगम दृटिकोण

- 8 वही एक झलक 2010 के आंकड़े.
- 9 वही, सारणी 4.11.
- 10 झारखंउ उच्च न्यायालय से प्राप्त आंकड़ा.
- 11 आशुचित्र-2009, कारागार आंकड़ा भारत, 2009, राट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार.

<sup>7</sup> वही सारणी 9.2.

2.1 उचित परिप्रेक्ष्य में समस्या का मूल्यांकन करने और बीमारी को रोकने की युक्ति का पता लगाने के लिए सर्वप्रथम अन्वाण में विलंब के कारण और बेढ़ंगे अन्वाण पर नजर डालने की आवश्यकता है । यद्यपि न्यायपालिका होने वाले कई विलम्बों के लिए उत्तरदायी नहीं है किन्तु आमधारणा के अनुसार न्यायपालिका ही मुख्य रूप से उत्तरदायी है । वास्तविक कारणों का पता लगाए बिना प्रायः न्यायपालिका को कलंकित किया जाता है । न्यायपालिका अपनी ओर से शांत रहता है और आम जनता को यह संसूचित करने से विरत रहता है कि कितपय विलंब उसके नियंत्रण से परे है । न्यायपालिका से यह करने की प्रत्याशा है कि वह ठोस वास्तविकता होने के कारण उसके द्वारा की गई समझे जाने वाले विलंबों का आत्मविश्लाण करे और अपनी व्यवस्था ठीक करने के लिए दृढ़तापूर्वक ऐसे उपाय करे जो आवश्यक है । इस पृठभूमि में न्यायपालिका द्वारा अंगीकार किए जाने के लिए कुछ आवश्यक उपचारात्मक उपायों को उजागर किया गया है और उनका प्रभावशाली सार्वजनिक व्यक्तियों के अभियोजन और विचारण पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव है ।

#### 2.2 विचारार्थ मामला न्यायालय पहुंचने के पूर्व विलम्ब का कारण

- 1. विभिन्न कारणों से सही उत्साह से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने और अन्वे-गण करने में पुलिस की ओर से उदासीनता और निक्रियता । (ऐसा पुलिस मैनुअल में शीघ्र और तत्पर अन्वेगण करने की आवश्यकता पर बल देने के बावजूद है ।)
- 2. पुलिस या तो महत्वपूर्ण/प्रभावशाली व्यक्तियों के विरुद्ध अन्वेगण आरंभ करने से हिचिकचाती है या वे शीघ्र कार्य न करने के दबाव में रहते हैं यदि अभियुक्त व्यक्ति सत्ता में है या सत्ताधारी दल का सिक्रिय सदस्य है। वे तब कातर बर्ताव अपनाते हैं जब अभियुक्त ऐसे व्यक्ति होते हैं।
- 3. पुलिस थाना स्तर पर भ्रटाचार समयबद्ध और गुणात्मक अन्वाण को प्रभावित कर रहा है । इसके अतिरिक्त, पुलिस थानों में स्टाफ की कमी है और पुलिस कार्मिकों में भय या पक्षपात के बिना कार्य करने की प्रेरणा का अभाव है ।
- 4. जब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट युक्तियुक्त समय के भीतर दर्ज नहीं की जाती है या अन्वाण की गित धीमी है तो इसे प्रभावी रूप से जांच करने का कोई आंतरिक तंत्र नहीं है। यहां तक कि ऐसे राज्यों में जहां प्रत्येक जिले में मुख्यतः अपराध (सामान्य विधि और व्यवस्था कर्तव्यों से भिन्न) के भार साधक के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों की तैनाती की गई है, वहां स्थिति में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ है।
- 5. अन्वाण की कुशलता को उन्नत करने का कोई सावधिक प्रयोग नहीं किया जाता है । अपराध और भ्रटाचार की जानकारी प्राप्त करने और निवारणात्मक उपाय करने के नाम पर कोई आसूचना नेटवर्क नहीं है ।
- 6. अपराधों के अन्वाण को पर्याप्त पूर्विकता नहीं दी गई है । पुलिस थानों से ि

विभन्न सापेक्षतः 'बंदोबस्त' के रूप में महत्वहीन ड्यूटी पर कार्मिकों का विपथन सामान्य प्रक्रिया है । अधिकांश राज्यों में, पुलिस थानों से जुड़ा विद्यमान पुलिस बल काफी अपर्याप्त है और यहां तक कि अनुमोदित संख्या में हमेशा कमी ही रहती है ।

7. सरकारों द्वारा अभियोजन के लिए अनुमोदन देने में काफी विलंब किया जाता है। ये कारण आम व्यक्ति के मामलों के लिए विशिट नहीं है – इन सभी समस्याओं से समग्रतः आपराधिक न्याय प्रणाली घिरी हुई है।

#### 2.3 अन्वाण और प्रलेखीकरण की गुणता

- (i) पुलिस कैमरा, विडियो उपकरण आदि जैसी आधुनिक जुगत की कमी के कारण प्रभावी अन्वाण करने में प्रायः असुविधाग्रस्त रहती है । न्यायलियक विज्ञान प्रयोगशालाओं की कमी है और जिला स्तर पर भी कोई प्रायोगशाला नहीं होती है जो अन्वाण करने वाली पुलिस को समय से सहायता प्रदान कर सके । इसके अतिरिक्त, यह आम बात है कि विभिन्न राज्यों के पुलिस विभागों में न्यायलियक और साइबर विशोज्ञों की कमी है । परिणाम यह है कि पुलिस वैज्ञानिक और पारिस्थितिक साक्ष्य पर केन्द्रित करने के बजाय मौखिक साक्ष्य के प्रति अधिक रुझान रखती है ।
- (ii) साक्षियों के कथनों की परीक्षा करने और अभिलिखित करने के लिए पर्याप्त सावधानी और प्रयास नहीं किए जाते हैं । इसके लिए, इस बाबत तत्परता नहीं बरती जाती है ।
- (iii) कम्प्यूटर नेटवर्क न होने या नौकरी पर प्रशिक्षित कार्मिक न होने या विनिर्दिट अनुदेशों की कमी के कारण अभिलिखित कथन/प्रथम इत्तिला रिपोर्ट/रिपोर्ट तत्काल कम्प्यूटर पर नहीं डाले जाते हैं।
- (iv) अंतिम रिपोर्ट/आरोपपत्र प्रारूपित करने में पर्याप्त सतर्कता और समय नहीं दिया जाता है । ऐसी सूचना है कि सभी सुसंगत तथ्यों के वर्जन के बिना त्रुटिपूर्ण आरोप पत्र और बिना उपाबंध लगाए आरोपपत्र पेश करना बहुत आम है यह कार्यवाहियों को विवलंबित करता है । इस महत्वपूर्ण दस्तावेज जो प्रायः पुलिस थाने में मुंशी द्वारा तैयार किया जाता है, की सावधानीपूर्वक संवीक्षा थाना अधिकारी द्वारा नहीं की जाती है । बड़े पुलिस थानों में तैनात 'मुंशी' काम के बोझ से बोझिल रहते हैं और मुश्किल से ही आ वश्यक समय निकाल सकते हैं ।

(v) आरोपपत्र/गिरफ्तारी मेमो, आदि पर अभियुक्त के फोटोग्राफ (साक्षियों के तो नहीं के बराबर) नहीं लगाए जाते हैं और न ही पहचान चिह्न का उल्लेख किया जाता है जिससे विचारण के दौरान अभियुक्त की पहचान करना या फरार अभियुक्त का पता लगाना कठिन हो जाता है।

### 2.4 विचारण न्यायालयों में आपराधिक मामलों की प्रगति में विलंब के कारण

- 1. आरापों की विरचना के प्रक्रम पर या विचारण के दौरान कुछ या सभी अभियुक्तों की अनुपस्थिति या विचाराधीन कैदियों का पेश न किया जाना । फरार अभियुक्त को पकड़ने और पेश करने में पुलिस द्वारा गंभीर प्रयास नहीं किए जाते हैं । वारंट का निपादन ऐसी पुलिस के लिए न्यूनतम पूर्विकता हो जाती है जिनका अपना वास्तविक या निजी कारण है । जहां अभियुक्तों की भारी संख्या है इस आधार पर विलंब एक सामान्य बात हो गई है । यदि अभियुक्त जिला या राज्य के बाहर रहता है तो यह समस्या को और बढ़ा देता है ।
- 2. पुलिस यह सुनिश्चित करने में असफल रहती है कि अभियोजन साक्षी समय पर उपस्थित हो और प्रायः अन्वोक अधिकारी ही व्यतिक्रमी होते हैं । विचारण मामले प्रायः शासकीय साक्षियों की गैर-हाजिरी के कारण स्थगित हो जाते हैं ।
- 3. अभियुक्त की ओर से उपस्थित एक या अन्य अधिवक्ता मुख्यतः ि वचारण को विलंबित करने या साक्षियों को अपने पक्ष में करने के लिए अभियुक्त पक्ष को अवसर देने के पर्याप्त औचित्य के बिना स्थगनों की मांग करते रहते हैं । न्यायालयों के भारी कार्यभार का फायदा अधिवक्ताओं द्वारा स्थगन पर दबाव डालने के लिए लिया जाता है । प्रायः साक्षियों को परीक्षा किए बिना न्यायालय से जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है । कभी-कभी अभियुक्त के अधि वक्ता को पूर्व नोटिस दिए बिना अभियोजन भी स्थगन की मांग करता है ।

- 4. उचित साक्षी संरक्षण उपाय की कमी और साक्षियों के तंग किए जाने/उत्प्रेरण की शिकायतों के मामलों में न्यायालय द्वारा त्वरित कार्य करने की असफलता ।
- 5. उचित समय-सारणी नियत करने और विचारण में निरन्तरता सुनिश्चित करने और दृढ़ता और युक्ति से अधिवक्ताओं से निपटने जैसे प्रभावी मामला प्रबंधन उपाय को विचारण न्यायाधीशों द्वारा न अपनाया जाना । इसके अतिरिक्त, कुछ न्यायाधीशों द्वारा एक बार विहित संख्या का निपटान करने के पश्चात् आत्मसंतोा की प्रवृत्ति होती है (अर्थात् प्रतिमास अपेक्षित निपटान संख्या) ।
- 6. भ्रटाचार निवारण अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम आर्थिक अपराध जैसे विशा अधिनियमों के अधीन गंभीर अपराधों का ि वचारण करने वाले न्यायाधीशों को अपने तीन वर्ष की अविध पूरी करने के पूर्व (यहां तक कि जब उनके विरुद्ध कोई विनिर्दिट परि वाद नहीं है) स्थानांतरित किए जाते हैं।
- 7. विचारण न्यायाधीश दंड प्रक्रिया संहिता के कतिपय उपबंधों अर्थात् धारा 293, 294 और 296 का प्रभावी रूप से फायदा नहीं उठाते । धारा 299 (अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य को अभिलिखित किया जाना) का अवलंब बहुत विलंब से लिया जाता है । इसी प्र ाकार, फरार अभियुक्त के विरुद्ध उद्घोगणा आदेश जारी करने में ि वलंब भी जानकारी मिली है ।
- विशोकर कुछ मुख्य राज्यों में न्यायालयों की अपर्याप्त संख्या ।
- अपर्याप्त कर्मचारियों की संख्या और त्रुटिपूर्ण भर्ती प्रक्रिया ।
- 10. विशोकर सेशन मामलों में पुराने मामलों की पहचान करने और नियमित आधार पर आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने के लिए उच्च न्यायालय स्तर पर प्रभावी तंत्र का अभाव ।
- उच्च न्यायालय को मासवार/त्रैमासिक रिपोर्ट भेजते समय विनिर्दिट मामलों में कार्यरत असाधारण विलंब की सूचना जिला न्यायाधीशों,

उच्च न्यायालय को न दिया जाना ।

12. आरोप विरचित होने के पश्चात् उच्च न्यायालयों में कार्यवाहियों को अभिखंडित करने की प्रक्रिया लंबित होने के कारण विचारण प्रायः विधारित हो जाते हैं । इम्तियाज अहमद वाले मामले में [2012 (2) स्केल 81] उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय में समुचित निदेश के साथ इस समस्या पर विचार किया गया है।

#### 2.5 लोक अभियोजक

- (i) लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजक के पदों पर रिक्ति के पिरणामस्वरूप एक लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजक को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में लगाने से न्यायालय के कार्य में गड़बड़ी होती है। लोक अभियोजक के कार्य के पर्यवेक्षण का कोई प्रभावी तंत्र नहीं है। भर्ती प्रक्रिया या तो त्रुटिपूर्ण है या राजनैतिक रूप से छलयोजित है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24(4) के उपबंध, जो जिला मजिस्ट्रेट से सेशन न्यायाधीश के परामर्श से जिले के लिए लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकों के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु उचित नामों की सूची तैयार करने की अपेक्षा करता है को कई राज्यों में हटा दिया गया है या संशोधित कर दिया गया है। कई राज्यों में अपनी रुचि के लोक अभियोजकों और अपर अभियोजकों की नियुक्ति करना एकमात्र राज्य सरकार के परमाधिकार के भीतर है।
- (ii) यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता अभियोजन निदेशालय के गठन का व्यादेश देती है और प्रसामान्यतः जिला न्यायाधीश की पंक्ति के निदेशक को निदेशक नियुक्त किया जाता है और उससे धारा 25क(3) द्वारा गृह सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करने की अपेक्षा है । गृह सचिव अभियोजन निदेशालय से संबंधित मामलों में कोई रुचि नहीं दिखाता है । निदेशक और उपनिदेशक को कोई कार्यात्मक स्वतंत्रता नहीं है और वे लोक अभियाजकों/सहायक लोक अभियाजकों पर केवल बाह्य पर्यवेक्षण का प्रयोग कर सकते हैं ।

(iii) पुलिस और लोक अभियोजक के बीच समन्वय की कमी । लोक अभियोजकों को संबद्ध पुलिस अधिकारियों की सहायता कभी-कभी उपलब्ध होती है । लोक अभियोजक प्रायः असहाय महसूस करते हैं ।

### 2.6 दोासिद्धि की कम दर के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

- 1. पुलिस द्वारा अकुशल अवैज्ञानिक अन्वेगण और पुलिस तथा अभियोजन मशीनरी के बीच उचित समन्वय की कमी ;
- 2. थानों में कर्मचारियों की कमी और अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित पुलिस कार्मिकों की तैनाती ; प्रशिक्षित और दक्ष अभियोजकों की कमी ;
- 3. न्यायालयों द्वारा मामलों के निपटान में काफी विलंब जिसके परिणामस्वरूप साक्षी या तो उपलब्ध नहीं होते या अपने बयान बदल देते हैं।
- 4. कूटरचित साक्ष्य पेश किया जाना ।

### 2.7 मुख्य प्रश्न

- (i) क्या प्रभावशाली लोगों से संबंधित मामलों में विचारण-पूर्व और विचारण प्रक्रम पर विशो मानीटरिंग तंत्र होना चाहिए ।
- (ii) क्या ऐसे प्रभावशाली लोगों की लंबी सूची देना या इसे परिभाति करना वांछनीय और व्यवहार्य है । क्या ऐसे व्यक्तियों के मामलों की पहचान करने और आवश्यक उपाय करने की बात पुलिस अधिकारी या संबद्ध न्यायालय या पर्य वेक्षणीय प्राधिकारी पर छोड़ दी जानी चाहिए ।
- (iii) विलंब से बचने और अबाधित अन्वाण और विचारण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम सुझाया जाए । मानीटिरंग तंत्र कैसे

विकसित किया जाए । इस बाबत और पुराने मामलों को निपटाने में जिला न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों को क्या भूमिका निभानी चाहिए ।

## 3. सार्वजनिक जीवन के प्रभावशाली व्यक्ति – निदर्शी सूची

यह प्रश्न कि क्या "सार्वजनिक जीवन के प्रभावशाली व्यक्ति" पद को परिभाति करने की आवश्यकता है, पर विधि आयोग का ध्यान गया । आयोग यह महसूस करता है कि ऐसी परिभााा संभव नहीं है और यह कोई प्रयोजन पूरा नहीं करता । प्रभावशाली व्यक्ति केवल वे ही नहीं है जो लोक पद धारण कर रहे हैं या धारण कर चुके हैं, उनके अनुचर और सगे संबंधी, अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति और ऐसे बाहुबली जिनका एक या अन्य राजनैतिक दल से संबंध है अपने तरीके से बहुत प्रभावशाली होते हैं और उनके पास अबाध अन्वाण और प्रभावी विचारण में अङ्गा अटकाने की क्षमता होती है । फिर भी, इस पद का इतना व्यापक अर्थ प्रदान करना वांछनीय नहीं है जिससे कि पंचायत स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों या विभन्न राजनैतिक दलों के सभी पदधारियों को सिम्मिलित किया जा सके । "सार्वजनिक जीवन के प्रभावशाली व्यक्ति" पद का सटीक अभिप्राय देना एक जटिल कार्य है । यह एक व्यापक और अस्पट पद है । प्रवर्ग के रूप में सार्वजनिक जीवन के प्रभावशाली व्यक्तियों को विनिर्दिट करने का संपूर्ण उद्देश्य पुलिस और संबद्ध न्यायिक अधिकारियों को ऐसे व्यक्ति के मामलों को सही मार्ग पर रखने और शीघ्र अन्वाण और विचारण के मार्ग में अड़चनों तथा विलंबों से बचने का प्रयास करने के लिए समर्थ बनाना है । वलंब और बाधा डालने वाले ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने का कार्य पुलिस/न्यायिक अधिकारी पर छोड़ देना चाहिए । तथाकथित प्रभावशाली व्यक्तियों की लंबी सूची बनाने के बजाय, एक ऐसा व्यापक मार्गदर्शन पर्याप्त है कि किसके मामलों पर विशा ध्यान दिया जाए । सार्वजनिक जी वन में प्रभावशाली व्यक्तियों की निदर्शी सूची बनाना संभवतः अधिक उचित है । तदनुसार, संसद सदस्य, विधायक जिसके अंतर्गत मंत्री (भूतपूर्व या वर्तमान) मेयर, नगर पालिका/जिला परिाद् के अध्यक्ष, अन्य राज्य स्तरीय सार्वजनिक निकायों के निर्वाचित या नामित अध्यक्ष (गैर-शासकीय) और राज्य स्तर के राजनैतिक दलों के महत्वपूर्ण पदधारियों को सार्वजनिक का प्र ाभावशाली माना जा सकता है ।

### 4. उच्च सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध मामले :

- वरिट सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध मामले अधिकांशतः भ्रटाचार निवारण अधिनियम के अधीन हैं जो विशो न्यायालयों को सौंपे जाते हैं । प्र गयः निरन्तर, सी. बी.आई/ए.सी.वी. या अन्य विशे न्यायालयों में विचारण झेल रहे अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाता है । अपनी पदीय स्थिति जो कुछ समय पूर्व वे धारण कर रहे थे, के आधार पर मामलों को विलंबित करना प्रबल नहीं हो सकता है । वस्तुतः किसी अन्य अभियुक्त की तरह यदि यह उनके अनुकूल होगा तो वे अधिवक्ता अनावश्यक स्थगन की मांग कर या औपचारिक साक्षियों की प्रति-परीक्षा का अवसर लेकर विचारण को विलंबित कर सकते हैं । ऐसी संभाव्यताएं संबद्ध न्यायालय द्वारा मामला प्र ाबंधन का प्रश्न पैदा करती हैं । कुल मिलाकर ये न्यायालय उन्हें सौंपे गए कार्य से बोझिल नहीं है और वे ऐसे उपाय कर सकते हैं जो विचारणों को विलंबित करने की चाल का प्रतिरोध करने के लिए आवश्यक है । तथापि प्रायः अभियोजन की ओर से समन साक्षियों को पेश करने और अन्वाक अधिकारी की परीक्षा करने में निक्रियता या काफी विलंब होता है । यदि कुछ मामलों में (जिला/अपर जिला न्यायाधीश पंक्ति के) पीठासीन अधिकारी महसूस करता है कि उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप पुलिस/ अभियोजक मशीनरी को सक्रिय बनाने के लिए उन्हें उपयुक्त निदेश देने के लिए आवश्यक है तो पीठासीन अधिकारी को उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को रिपोर्ट भेजनी चाहिए ।
- 4.2 भ्रटाचार निवारण के मामलों में, यह सूचित किया गया है कि अननुपातिक आस्तियों के मामलों में काफी समय लगता है क्योंकि आ वश्यक और अनावश्यक अनेक साक्षियों की परीक्षा कराई जाती है । यह बताया गया है कि ऐसे मामलों में आरोपपत्र फाइल किए जाने में कभी-कभी अन्वोण पूरा होने के पश्चात् एक वा या अधिक का विलंब होता है । इसके अलावा, कई राज्यों में भ्रटाचार निवारण अधिनियम के मामलों पर विचार करने के लिए विशा न्यायालयों की पर्याप्त संख्या नहीं है । सरकारी कर्मचारियों से संबंधित मामलों की ये विशा समस्याएं हैं । ऐसे वरिठ सरकारी कर्मचारियों की पहचान करना जो सरकार में महत्वपूर्ण पद धारण करते हैं, कतई समस्या नहीं है और न ही यह आवश्यक है । वरिठ सरकारी कर्मचारियों और निचले स्तर के कर्मचारियों वाले मामलों के वर्गीकरण का प्रायास करना वांछनीय नहीं है । तथापि, यदि ऐसे कर्मचारियों को विलंबकारी

युक्तियां अपनाते हुए या अन्यथा न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता हुआ पाया जाता है तो न्यायालय उच्च न्यायालय को विशेष रिपोर्ट भेजने के अलावा आवश्यक मामला प्रबंधन उपाय करने के लिए असहाय नहीं है।

### 4.3 प्रभावशाली सार्वजनिक व्यक्तियों को रास्ते पर लाने के पीछे तर्क-पक्ष और विपक्ष

- 4.3.1 आगे कार्यवाही करने के पहले, इस पर विचार करना आवश्यक है । क्या सार्वजनिक जीवन के प्रभावशाली व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामलों को एक वर्ग माना जाए और ऐसे मामलों को पूर्विकता से निपटाने हेतु विशे ध्यान दिया जाए । दूसरे शब्दों में, क्या दूसरे मामलों में विलंब की तुलना में ऐसे मामलों में विलंब को अधिक गंभीरता से लिया जाए और क्या इनकी विशे संवीक्षा की जाए । इस संदर्भ में, मुद्दे के पक्ष और विपक्ष दर्शित करने वाले दो मत हो सकते हैं । इन्हें संक्षेप में इस प्रकार कहा गया है :
- 4.3.2 आपराधिक न्याय का प्रशासन निपक्षता से किया जाना चाहिए और अभियुक्त के विभिन्न वर्गों के बीच भिन्न-भिन्न बर्ताव नहीं किया जा सकता है । यह तथ्य कि अभियुक्त सरकारी संरचना में प्राधिकार का पद धारण करने वाले लोक व्यक्ति है, प्रसामान्यतः ऐसे व्यक्तियों के अन्वेगण या वचारण के लिए विशे। प्रक्रिया विहित करने का आधार नहीं होना चाहिए । मुद्दे को अनुच्छेद 14 के परिप्रेक्ष्य से भी देखा जाना चाहिए और उस अनुच्छेद के आयाम से दूर रहना चाहिए । यह पुरानी बात है कि अपराध और विचारण का तीव्र अन्वाण विधि के नियम का एक पहलू है और संि वधान के अनुच्छेद 21 का घटक है । संपूर्ण समाज का यह विधिसम्मत हित है कि गंभीर अपराधों के अभियुक्तों के विरुद्ध तत्परता और शीघ्रता से कार्यवाही करनी चाहिए और प्रक्रिया को अवांछनीय और विधिकेतर पद्धतियों द्वारा दृति नहीं होने देना चाहिए । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त के दृटिकोण से देखने से शीघ्र विचारण अनुच्छेद के अधीन मूल अधिकार है । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि अभियुक्त कौन है, क्या वह प्रभावशाली व्यक्ति है या आम आदमी । लोकहित की यह मांग है कि अन्वाण, अभियोजन और विचारण एक साथ कई वार्रे तक नहीं चलते रहने दिया जाना चाहिए । तत्पर अन्वाण और शीघ्र विचारण के मार्ग में आने वाले अवरोध को दूर किया जाना चाहिए । इसके बजाय कि अभियुक्त

कौन है, पुराने मामलों को व्यवस्था में अड़ंगा डालने की अनुज्ञा दी जानी चाहिए । विलंब के कारणों की पहचान की जानी चाहिए और शीघ्र अन्वाण और विचारण के मार्ग के सभी अवरोधों को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाने चाहिए । अपराधों की प्रकृति और अपराधों के वर्ग के प्र ातिनिर्देश के बिना तथाकथित प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए विशे। न्यायालयों का गठन नहीं किया जा सकता है । जैसाकि यह आपराधिक न्याय के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध होगा । ऐसा कोई विभेदीय बर्ताव अनुच्छेद 14 के कोप का भाजन होगा । अभियुक्त की हैसियत को ध्यान में रखे बिना आपराधिक विधि को एक समान रूप से लागू किया जाना चाहिए । यदि इस तथ्य के अनुकूल सामग्री हो कि ऐसे प्रभावशाली सार्वजनिक शक्तियों के अन्रोध पर अन्वाण तेजी से नहीं किया जा रहा है या वे वलंबकारी या अभित्रासीय कार्यों का अवलंब ले रहे हैं तो वह ऐसे उपायों को अपनाने का आधार हो सकता है जो बाधाओं को दूर करने के लिए आ वश्यक है किन्तु मामले के समय पर ध्यान दिए बिना सामूहिक रूप से त वरित निपटान हेत् लोक व्यक्तित्व वाले सभी मामलों को नहीं निपटाया जा सकता ।

4.3.3 दूसरी ओर, यह बलपूर्वक तर्क किया गया है कि ऐसे लोग जो प्राधिकार के पद पर है या जो अपने राजनैतिक संबंध या सत्ताधारी दल की समीपता के आधार पर पर्याप्त प्रभाव डाल सकते हैं, के मामलों पर पुलिस या न्यायालय प्रणाली द्वारा विशे। ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यह कहना आवश्यक नहीं है कि ऐसे मामलों का सामाजिक आयाम होता है क्योंकि अपनी आपराधिक प्रवृत्ति के बावजूद वे व्यक्ति राजनैतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विकृति रूप से प्रवेश करते हैं और प्रभावित करते हैं । इस पर बल डालने की आवश्यकता नहीं है कि राजनीति का अपराधीकरण एक अभिशाप है जो गंभीर रूप से वर्तमान परिस्थिति में समाज को दूति कर रहा है । लोकतांत्रिक सुधार की सिविल सोसाइटी सहयोग संगम और राट्रीय निर्वाचन दृटि के अनुसार संसद के 153 सदस्य आपराधिक मामलों में अभियुक्त है और उनमें से 74 हत्या का प्रयास, अपहरण आदि<sup>12</sup> जैसे गंभीर अपराधों के अभियुक्त हैं । यदि ऐसी स्थिति बनी रहने दी जाती है तो एक स्वच्छ लोकतांत्रिक प्रक्रिया पाने का नागरिकों का मूल अधिकार जोखिम में पड़ जाएगा । अतः केवल यह

<sup>12</sup> एच.टी.टी.पी 11 न्यून बी.बी.सी.ओ. यू. के. तारीख 24.2.2012.

सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों पर निगरानी रखना आवश्यक है कि बाह्य प्रभावों से न्याय के अनुक्रम में बाधा न पड़े या विक्षेपित न हो । यदि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग अनन्वेति रह जाता है या अव्यस्थित ढंग से अन्वेाण किया जाता है तो इससे युक्तियुक्त संदेह पैदा होता है कि पुलिस उनके प्रभाव के जकड़ में है । यदि बातों को किसी संवीक्षा या उच्चतम स्तर पर मानीटिरंग के बिना अपना निजी अनुक्रम अपनाने पर छोड़ दिया जाता है तो आपराधिक न्याय प्रक्रिया भ्रामक अनुक्रम अपनाएगी और विधि के नियम के लिए चुनौती बन जाएगी । अतः, ऐसी स्थिति पर ध्यान दिया जाना चाहिए और ऐसा करते समय संबद्ध प्राधिकारियों को कोई विभेदकारी बर्ताव नहीं करना चाहिए । दूसरी ओर, आपराधिक न्याय प्रशासन में सामुदायिक आस्था बढ़ेगी ।

- 4.3.4 इसी प्रकार, पूर्वोक्त व्यक्तियों वाले आपराधिक मामलों के विचारण के प्रक्रम पर यह आश्वस्त होने के लिए ऐसे मामलों पर नजर रखना समीचीन और वांछनीय है कि विचारण को लंबा खींचने या साक्षियों को अप्राप्य बनाने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों के कारण असम्यक् विलंब कारित न हो । इस सीमित प्रयोजन के लिए ही ऐसे मामलों पर विशे। ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे कि व्यस्था की प्रत्याशा के अनुसार विचारण अबाधित रूप से चले और कुछ नहीं ।
- 4.3.5 आयोग का यह मत है कि इस कारण सार्वजनिक जीवन के प्रभा वशाली व्यक्तियों के मामलों पर विशे ध्यान देने की आवश्यकता है कि पिछला अनुभव यह दर्शाता है कि अन्वेगण और विचारण दोनों में काफी विलंब होता है । ऐसा पुलिस और साक्षियों के साथ उनके प्रभाव से हो सकता है । प्रायः विलंब न्यायालय कार्यवाहियों से उनकी लंबी अनुपस्थिति के कारण भी कारित होता है और पुलिस उन्हें न्यायालय में पेश कराने के प्रभावी उपाय नहीं करती । दूसरा, लोक पद धारण करने वाले व्यक्तियों की लोकतांत्रिक शासन में अहम भूमिका होती है और लोगों की यह विधसम्मत प्रत्याशा होती है कि निर्वाचित प्रतिनिधि बेदाग है और आपराधिक अवचार से मुक्त है । इस प्रकार, आम जनता भी समानतः विचारण की शीघ्र समाप्ति चाहती है । उन पर चढ़े बादल को वार्ों या दशकों तक नहीं छाया रहना चाहिए ।
- 4.3.6 इस संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त प्रासंगिक

नारायण बनाम एस. बंगारप्पा¹³ वाले मामले में यह मत व्यक्त किया : "धीमी गित और अधिक धीमी हो जाती है जब राजनैतिक रूप से सशक्त या उच्च और प्रभावशाली व्यक्ति अभियुक्त होते हैं।" उच्चतम न्यायालय ने विशेष न्यायालय विधेयक 1978⁴ वाले मामले में न्यायमूर्ति कृण अय्यर के निम्निलिखित मताभिव्यक्तियों के अनुमोदन के साथ उच्चतम न्यायालय ने उद्धृत किया : "समय गंवाने के लिए संसद द्वारा बनाई गई संहिता से कम न्यायालयों को कलंकित किया जाना चाहिए और सरकार न्यायपालिका के लिए ठीक-ठीक कार्य करने के लिए आधारभूत सुविधाओं से इनकार करने या विलंबित करने का दोषि है। न्याय हमारी स्कीम में सिन्ड्रेला है। फिर भी, अति महत्वपूर्ण अभियुक्त को छोड़कर सभी विलम्बकारी विधिक प्रक्रिया द्वारा लंबा विलंब होना एक अनिवार्य बुराई है। अतः हमें पूर्ण प्रक्रियात्मक समानता के बारे में नकचढ़ा नहीं होना चाहिए और विशेष परिस्थितियों द्वारा आबद्ध नवीन प्रक्रियाओं में सृजनशील होना चाहिए।"

4.3.7 उस संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन ऐसे व्यक्ति जो उच्च लोकपद या राजनैतिक पद धारण करते हों, द्वारा किए गए अपराधों का अन्वाण करने के लिए विशेा न्यायालय गठित करने की वैधता के प्रश्न पर विचार करने का विाय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया । विशेष न्यायालय (1976) में आपात के दौरान और उसके कुछ मास पूर्व किए गए अभिकथित अपराधों का विचारण करने के लिए गठित किए गए थे । उस उपबंध की संवैधानिक विधिमान्यता को सारतः कायम रखा गया । तथापि, जहां तक आपात पूर्व किए गए अपराधों का संबंध है उच्चतम न्यायालय ने ऐसे वर्गीकरण की तार्किकता का अनुमोदित नहीं किया । 15

### 5. विशा न्यायालय

लोक पदों या कारपोरेट प्रबंध द्वारा भारी पैमाने पर वित्तीय

<sup>13 (1995) 4</sup> एस. सी. सी. 41.

<sup>14 (1979) 1</sup> एस. सी. सी. 380.

<sup>15</sup> वही न्या. चन्द्रचूड पैरा 103 पृठ 439.

गड़बड़ियों और सार्वजनिक निधि के विपथन वाले मामलों में प्रायः विशे। न्यायालय गठित किए जाते हैं । समाज की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले अंतरराज्यीय आपराधिक सामुदायिक प्रशाखाओं वाले अपराधों और आतंकी अपराधों का विचारण भी सरकारों द्वारा तदर्थ आधार पर गठित विशे। न्यायालयों द्वारा किया जाता है । ये भ्रटाचार निवारण अधिनियम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, आर्थिक अपराध. आदि के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए व्याप्त नियमित विशा न्यायालयों के अलावा है । अधिकांश अभियुक्त और गंभीर प्र ाकृति के अपराध जो उनके द्वारा किए जाते हैं, भी विशा न्यायालय गठित करने का औचित्य प्रदान करते हैं । इस प्रवर्ग में रिट याचिका में उद्धत झारखंड वाला मामला आता है । उस मामले में असाधारण विलंब और अन्य मामलों की संख्या और ऐसे कारण जिससे विलंब होता है. विशे। न्यायालय के गठन की आवश्यकता बतलाते हैं और उच्च न्यायालय विचारण की प्र ागति का अधीक्षण कर रहा है । भ्रटाचार वाले मामलों पर विचार करने के लिए और विशा न्यायालयों का सृजन ऐसा क्षेत्र है जो केन्द्रीय सरकार और उच्च न्यायालयों का ध्यान आकृट कर रहा है । आपात जैसी असाधारण स्थितियों में उच्च पद धारण करने वाले प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अभिकथित रूप से किए गए अपराधों का विशा न्यायालय गठित करने हेत् न्याय आधार ठहराया गया था । किन्तु, जहां कहीं प्रभावशाली सार्वजनिक व्यक्तियों हों वहां विशा न्यायालयों के गठन के कोरे निदेश देने से बचना चाहिए विशोकर इसे अनुच्छेद 14 की दृटि से देखना चाहिए । सार्वजनिक जीवन में प्रभावशाली स्थिति में अभियुक्त के होने के अलावा विशे। और अति-साधारण स्थितियां मौजूद होनी चाहिए ।

## 6 अपनाया जाने वाला दृटिकोण

तब यह प्रश्न उठता है कि सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान ि विधयों की अवसंरचना के भीतर क्या और किस सीमा तक निदेश दिया जाए कि सार्वजनिक व्यक्ति अपने प्रभाव और शक्ति के आधार पर अन्वेगण की प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करें और शीघ्र तथा निरन्तर विचारण के मार्ग में बाधा न पैदा करें । यद्यपि, प्रभावशाली सार्वजनिक व्यक्तियों वाले आपराधिक मामलों पर विशे दृटि है किन्तु, उठाए गए उपाय गंभीर अपराधों के अन्वेगण में विलंब और खामी को रोकने की वृहत्तर योजना के भाग के रूप में होना चाहिए और अभियुक्त द्वारा पैदा किए गए बाधा और अवरोध के बिना विचारण की प्रगति सुनिश्चित की जानी चाहिए । समग्र दृ-

टकोण अपनाया जाना चाहिए । कुल मिलाकर, इस पर ध्यान दिए बिना कि अभियुक्त कौन है, गंभीर अपराधों वाले आपराधिक मामलों को समानतः अनुध्यात उपाय लागू किया जाना चाहिए । सार्वजनिक व्यक्तियों से संबंधित मामलों सहित पुराने मामलों पर विशे। फोकस दिया जाना चाहिए और प्रगति के मार्ग के अवरोधों को हटाया जाना चाहिए । तदनुसार इस रिपोर्ट में सुझाव विरचित किए गए हैं ।

## प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त होने/अभिलिखित किए जाने के पश्चात् पुलिस द्वारा लिए जाने वाले निदेशित कुछ उपाय

- (i) संज्ञेय अपराधों में प्रभावशाली सार्वजिनक व्यक्तियों के संलिप्त होने से संबंधित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मिजस्ट्रेट को भेजे जाने के अलावा संबद्ध पुलिस अधीक्षक/सहायक पुलिस अधीक्षक को भी अग्रेगित की जाए ।
- (ii) अन्वोण तत्परतापूर्वक और शीघ्रता से किया जाए । [जब तक संबद्ध पुलिस अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157(1) के परंतुक के खंड (ख) के अधीन राय नहीं बनाता] पुलिस अधीक्षक/सहायक पुलिस अधीक्षक समय-समय पर अन्वेगण के अनुक्रम और प्रगति से संबंधित थाना प्रभारी से रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उपयुक्त निदेश जारी करेगा । वह ऐसी सहायता प्रदान करेगा जो इस बाबत थाना प्रभारी द्वारा अपेक्षित हो अर्थात् अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराना, यथाशीघ्र न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त करना आदि ।
- (iii) अन्वाण यथासंभव शीघ्र तीन मास के भीतर और किसी भी दशा में छः मास से अपश्चात् पूरा किया जाएगा । आरोपपत्र इसके पश्चात् सूचीबद्ध उचित अपेक्षित दस्तावेज के साथ एक मास के भीतर फाइल किया जाएगा । प्रारूप आरोपपत्र की एक प्रति विधीक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक/सहायक पुलिस अधीक्षक को भेजी जाए ।
- (iv) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, परीक्षा कराए गए अभियुक्त और साक्षियों का कथन और अन्वाक अधिकारी द्वारा तैयार किए गए अभिलेख को

समय-समय पर कम्प्यूटरीकृत किया जाए जिससे कि वे सभी संबद्ध लोगों को इलेक्ट्रानिक प्ररूप में उपलब्ध हो सके (गैर पुनः अभिलिखित कम्पैक्ट डिस्क)

- (v) अन्वाक अधिकारी, पुलिस अधीक्षक/सहायक पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने की असफलता के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी ठहराया जाए कि अन्वाण विनिर्दिट समय सीमा के भीतर पूरा हो और वे अननुपालन के लिए अनुशासनिक कार्यवाहियां का सामना करेंगे जब तक यह सिद्ध नहीं करते कि उनके द्वारा युक्तियुक्तः कर्मिठ कदम उठाए गए थे । पुलिस महानिदेशक के पास आ वश्यकतानुसार ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ करने का उत्तरदायित्व होगा ।
- (vi) पुलिस अधीक्षक/सहायक पुलिस अधीक्षक को प्रभावशाली सार्वजिनक व्यक्तियों से संबंधित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अभिलेख बनाए रखना चाहिए जिससे कि वह समय-समय पर ऐसे मामलों की खोज रखने में समर्थ हो सके ।
- (vii) प्रभावशाली सार्वजनिक व्यक्तियों वाले मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 का अवलंब अधिक बार लिया जाना चाहिए ।
- (vii) जबिक दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अधीन अपराधों का अन्वेगण पुलिस के अनन्य क्षेत्राधिकार में है, वहीं मिजस्ट्रेट को अन्वेगण की प्रभावी प्रक्रिया को मलीन करने के लिए प्रभावी व्यक्तियों के प्रयासों का प्रतिकर करने हेतु सीमित भूमिका निभानी चाहिए । तदनुसार अन्वेगक अधिकारी अवरोध, यदि कोई है, की जानकारी मिजस्ट्रेट को देगा जो अन्वेगण में बाधा डालने के अभियुक्त द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों सिहत शीघ्र अन्वेगण के मार्ग में आने वाली है । मिजस्ट्रेट विधि के अधीन यथाअनुक्तेय ऐसे उपाय, उदाहरणार्थ, संदिग्ध/अभियुक्त/या तीसरे पक्षकार की अभिरक्षा में दस्तावेजों के पेश करने के लिए समन जारी करना, के अलावा विलंब दूर करने के प्रशासनिक पक्ष पर समुचित कार्रवाई के लिए जिला न्यायाधीश को भी रिपोर्ट भेजेगा ।
- (ix) पांच र्वा की अधिक के कारागार से दंडनीय अपराधों की बाबत इसका ध्यान किए बिना सार्वजिनक व्यक्ति अंतर्विलित है, यदि अन्वाण छह मास के भीतर पूरा नहीं हुआ है, रिपोर्ट अन्वाक अधिकारी द्वारा एस.पी/एस.एस.पी. को प्रस्तुत करनी चाहिए जो अन्वाण का पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए आ वश्यक कार्रवाई करेगा । एस.पी./एस.एस.पी. ऐसे मामलों का एक रिजस्टर बनाए रखेगा जहां अन्वाण मं विलंब होता है और अवरोध दूर करने के लिए

उपचारात्मक कदम उठाया जाना चाहिए ।

- (x) अभियुक्त का फोटो और पूरा पता/फोन नवम्बर, ई-मेल आईडी, यदि कोई है, अभिप्राप्त किया जाएगा और गिरफ्तारी मेमो और आरोपपत्र पर फोटो चिपकाया जाएगा । (यह कुछ राज्यों अर्थात्, महाराट्र में किया जा रहा है)
- (xi) पुलिस को अस्पतालों में रखे गए चिकित्सा-विधिक रिजस्टर के उचित और सही अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित कदम उठाना चाहिए ।

### 7.1 ऐसे मामलों में पुलिस की ड्यूटी जहां कोई औपचारिक शिकायतें नहीं है ।

जब कभी पुलिस (थानाप्रभारी) द्वारा विश्वसनीय जानकारी प्राप्त की जाती है कि लोक सेवक या महत्वपूर्ण लोक व्यक्तित्व द्वारा संज्ञेय अपराध किया गया है, तो उसका यह कर्तव्य है कि अपराध दर्ज करे । उदाहरणार्थ भ्रटाचार का उद्घाटन स्टिंग आपरेशन द्वारा हो सकता है जिसे टेलीविजन में प्रसारित या मीडिया में प्रकाशित किया जाता है । उन्हें रिपोर्ट की प्रमाणिकता के सत्यापन के पश्चात् उस पर कार्रवाई करनी चाहिए । दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित अनिरुद्ध बहल<sup>16</sup> वाले मामले में इस बाबत पुलिस की चूक की बात प्रकाश में आयी ।

- 7.2 इस संदर्भ में, यह इंगित किया जाता है कि धारा 156 के साथ पठित धारा 154 और 157 के उपबंध पुलिस अधिकारी को अन्वाण आरंभ करने की पर्याप्त शक्तियां प्रदान करते हैं ।
- 7.3 जब कभी लोक सेवकों और अन्य के अभियोजन के लिए कानूनी अनुशास्ति अपेक्षित हो, संबद्ध सरकार को शीघ्रता से कार्य करना चाहिए । प्रसामान्यतः, इसे 3 या 4 मास<sup>17</sup> में किया जाना चाहिए । विभाग के प्रभारी सचिव को यह सुनिश्चित करना चाहिए ।

### 8. मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के पश्चात् किए जाने वाले उपाय (ि वचारण के दौरान)

(क) ऐसे मामलों में जिसमें विलंब अभियुक्त के आचरण या पुलिस या अभियोजन की ओर से निक्रियता के कारण प्रभावशाली सार्वजनिक व्यक्तियों और अन्य लोगों के विरुद्ध संज्ञेय मामलों में होता है, ऐसे जिला न्यायाधीश की नोटिस में लाया जाना चाहिए जो, यदि आवश्यक हो, मुद्दे को एस.पी./एस.एस.पी. के साथ उठाएगा ।

<sup>16 172 (2010)</sup> दिल्ली ला टाइम्स 268.

<sup>17</sup> डा. सुब्रमण्यिम स्वामी बनाम डा. मनमोहन सिंह, 2012 (2) स्केल 12.

- (ख) ऐसे सेशन मामलों में यदि अभियुक्त/पुलिस/अभियोजन द्वारा काफी विलंब किया जाता है और मामले का विचारण करने वाला एडीजे असहाय महसूस करता है तो इसे ऐसे जिला न्यायाधीश की जानकारी में लाया जाना चाहिए जो शीघ्र समस्या से एस.पी/एस.एस.पी. को अवगत कराए और अभियुक्त को गिरफ्तार करने या साक्षियों को पेश करने की आवश्यक कार्रवाई आरंभ करने के लिए उन्हें सचेत करे । इसके बावजूद यदि पुलिस उत्तर नहीं देती तो जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय को विशोकर यदि मामला प्रभावशाली सार्वजनिक व्यक्ति संबंधित है. विशो रिपोर्ट भेजेगा ।
- (ग) इसी प्रकार, जिला न्यायाधीश को उच्च न्यायालय को सूचित करना चाहिए जब कभी सेशन मामलों के विचारण में जिला न्यायाधीश द्वारा काफी विलंब महसूस होता है और एस.पी./एस.एस.पी. पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
- (घ) उद्घोति अपराधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विशे। अभियान चलाया जाना चाहिए ।
- (ङ) साक्षी संरक्षण के आवेदन का विचारण न्यायालयों द्वारा निपटान पुलिस को समुचित निदेश देकर तत्परतापूर्वक किया जाना चाहिए ।
- (च) पुराने लंबित सेशन मामलों की स्थिति का जायजा लेने के लिए अनन्यतः उच्च न्यायालय में एक विशे सेल होना चाहिए । रिजस्ट्रार स्तर के अधिकारी की अगुआई में सेल को संबद्ध प्रशासनिक /पोर्टफोलियो न्यायाधीश या इस प्रायोजन के लिए मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामित कोई अन्य न्यायाधीश/समिति को ऐसे मामलों के लंबित होने के तथ्य, जिला न्यायाधीश की रिपोर्ट, यदि कोई है, और मामलों के दीर्घ लंबित होने के लिए दिए गए कारणों की जानकारी को तत्परतापूर्वक लाना चाहिए । यह वांछनीय है कि उच्च नयायालय के ऐसे न्यायाधीशों जिनके पास तुलनात्मकतः कम प्रशासनिक कार्य हैं, को विलंब को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने और आपराधिक विचारणों के शीघ्र समापन का रास्ता बनाने का कार्य सौंपा जाए । इस प्रक्रियों में, संबद्ध प्रशासनिक/ पोर्टफोलियो न्यायाधीश को भी सहयोजित किया जाए । विशे सेल को समिति से नियमित समन्वय करना चाहिए । त्रैमासिक विवरण या अन्यथा में जिला न्यायाधीश से प्राप्त सूचना पर आधारित उक्त समिति विचारण की प्रगति में उदाहरण के लिए डीजीपी/डीआईजी/एसपी को आवश्यक अनुदेश देकर अवरोध को दूर करने के लिए प्रशासनिक पक्ष पर आवश्यक उपाय करेगी ।
- (छ) तिमाही विवरणों में भी, जिला न्यायाधीशों को ऐसे सेशन मामलों में विलंब के लिए संक्षिप्त कारण अभिलिखित करना चाहिए जो आरोपों के विरचित किए जाने की तारीख से 3 र्वा से अधिक पुराने है और अन्य बातों के साथ-साथ उन्हें यह उल्लेख करना चाहिए कि क्या मामला प्रभावशाली सार्वजनिक व्यक्ति

#### से संबंधित है।

- (ज) विशोकर ऐसे प्रभावशाली सार्वजनिक व्यक्तियों से संबंधित सेशन मामलों को प्रमुख पूर्विकता दी जानी चाहिए जो 5 वां से अधिक पुराने हैं (या कार्यभार स्थिति पर नहीं आधारित हैं) । संबद्ध उच्च न्यायालय समिति को ऐसे मामलों पर विशे ध्यान देना चाहिए और समय-समय पर प्रगति का पुनर्विलोकन करना चाहिए जिससे कि विचारण को अधिक शीघ्रता से निपटाया जा सके । यदि आ वश्यक हो, समिति कम कार्यभार वाले न्यायालय को ऐसे मामलों के स्थानांतरण के लिए कदम उठा सकेगी । सुस्पटतः, उच्च न्यायालय की समिति को मामले के गुण-दोा पर अप्रत्यक्षतः कुछ नहीं कहना चाहिए चाहे अभियुक्त द्वारा किसी एक या अन्य कारण से अवरोधात्मक युक्तियां अपनाई जाएं ।
- (ञ) विचारण के निरन्तरता के मानक को सभी मामलों में (कार्यभार स्थिति के आधार पर 5 वीं से अधिक पुराने या कम समय वाले मामले) विशोकर महत्वपूर्ण राजनैतिक व्यक्तियों से संबंधित मामलों पर कड़ाई से पालन किया जाएगा । मामला प्रबंधन प्रक्रिया के भाग के रूप में, विद्वान् अधिवक्ताओं और लोक अभियोजकों के परामर्श से विचारण के लिए तारीखों की समय-सारणी बनाई जाए और समय-सारणी का सारतः पालन किया जाए । उच्च न्यायालय समय-समय पर समय-सारणी का पालन करने और स्थगनों की इनकारी (जब तक विशो और असाधारण कारण न हों) की आवश्यकता पर बल देने के परिपत्र जारी कर सकेगा और यह न्यायालयों और बार एसोसिएशन के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

यथापूर्वोक्त विभिन्न उपाय करने की अधिक सक्रिय भूमिका को स्वीकार कर, उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 और 227 तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 483 के अधीन उसे प्रदत्त अधिकारिता और प्राधिकार की परिधि के भीतर ही कार्य करेगा । तथापि, स्थिति को और अधिक स्पट करने के लिए, उपाबंध के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता में कतिपय संशोधन करना वांछनीय है । उच्च न्यायालयों को उपाबंध में प्रस्तावित उपबंधों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम विरचित करना चाहिए या परिपत्र जारी करना चाहिए । किसी भी दशा में, उच्च न्यायालय आपराधिक मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने की अपनी सम्यक् भूमिका निभाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 235 को अवलंब ले सकते हैं ।

(ट) उच्च न्यायालय को न्यायिक पक्ष की ओर से, लंबित विचारण मामलों में अभिखंडित आवेदनों/पुनरीक्षणों के निपटान में प्रमुख पूर्विकता देनी चाहिए । ऐसे मामलों में तब तक अभिलेख न मंगाए जाएं जब तक किसी मूल दस्तावेज का परिशीलन करना अपरिहार्य न हो । विचारण जारी रहना चाहिए जबतक विनिर्दिट रोकादेश न हो और इसे उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपन्न द्वारा स्पट किया जा सकता है।

- (ठ) विशे सेल मुख्य न्यायमूर्ति को समय-समय पर मुख्य अपराध के लंबित मामले जिसमें कार्यवाहियों पर रोक लगाई गई है या अभिलेख मंगाए हैं, वाले सेशन और अन्य मामलों की सूचना देगा । इस संबंध में, **इम्तियाज अहमद** बनाम **उ0** प्र0 राज्य<sup>18</sup> वाले मामले में उच्चतम न्यायालय का हाल ही का निर्णय बिल्कुल सुसंगत है ।
- (ड) आपराधिक मामलों के निपटान में असम्यक विलंब से संबंधित व्यथित व्यक्तियों या पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किसी अभ्यावेदन पर जिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय समिति सम्यक् ध्यान देंगे । रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा प्राप्त ऐसे किसी अभ्यावेदन का विशा सेल को अग्रेगित किया जाना चाहिए ।
- (ढ) विशो सेल को अधिवक्तओं के विरुद्ध 3 र्वा से अधिक के कारावास से दंडनीय सेशन मामलों या अन्य मामलों के अभिलेख भी रखने चाहिए जैसा भारतीय विध आयोग द्वारा 2010 की रिट याचिका सं. 9925(एम/बी) में इलाहाबाद उच्च नयायालय (लखनऊ खंडपीठ) को लिखित निवेदन में इंगित किया गया है और सेल न्यायाधीश की समिति के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करे जिससे कि समिति को ऐसे मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए समुचित निदेश दिया जा सके।

### 9. न्यायालय कर्तव्यों के लिए चिन्हित पुलिस कार्मिकों की आवश्यकता

9.1 विचारण की प्रगित में विलंब का सर्वाधिक सहजदृश्य कारण पुलिस द्वारा वारंटों का निपादन न किया जाना है । गैर-तामील समन और गैर-जमानतीय वारंट का आपराधिक न्याय परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है । पुलिस निक्रियता, उदासीनता या अयोग्यता गैर-जमानतीय वारंटों के भारी मात्रा में गैर-निपादन के लिए लंबित होने की धुंधली स्थिति के अभिदायी कारक हैं । एक या कुछ अभियुक्त की गैर-हाजिरी के कारण समय-समय पर मामले स्थिति हो जाते हैं । पुलिस अच्छे या बुरे कारणों से ऐसे अभियुक्त (जिसके विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट और उद्घोगणा आदेश जारी किए गए हैं) को पकड़ने में अपनी असमर्थता का अभिवचन करती है । बात यह है कि पुलिस इसे पूर्ि वक मद नहीं समझती और वे नैमित्तिक नेमी रीति से कार्य करती है । यहां तक कि (लोक पदधारण करने वाले या राजनैतिक दल चलाने वाले प्रमुख अभियुक्तों को फरार या संपर्क करने पर अनुपलब्ध दर्शाया जाता है जैसे प्रस्तुत मामले में प्रदर्शित हैं । प्रत्येक दंड न्यायालय से केवल एक पुलिस कान्स्टेबल जुड़ा है और कभी-कभी एक ही कान्स्टेबल दो न्यायालयों के कार्य करता है । वह डाकघर के रूप में थाने समन/वारंट ले जाने का कार्य करता है और इस पर कार्रवाई के लिए एस एच ओ के पास छोड़ देता है । ऐसे असंख्य दृटांत है जिसमें संबद्ध पुलिस अधिकारी गैर-जमानतीय वारंट की

<sup>18 2012 (2)</sup> स्केल 81.

प्रगति और अभियुक्त न पकड़ने के विनिर्दिट कारण के बारे में न्यायालय को सूचित भी नहीं करते । झारखंड राज्य में फीडबैक यह है कि वारंट महीनों और वााँ अनिपादित रहते हैं क्योंकि इस कार्य को करने के लिए पुलिस कार्मिक उपलब्ध नहीं है क्योंकि उन्हें अतिवादी दुर्दशा आदि से निपटाने के लिए दूर और संवेदनशील क्षेत्रों में ड्यूटी पर लगाया जाता है।

प्रायः सभी राज्यों में, जिला न्यायाधीश की पुलिस अधीक्षकों के साथ सावधिक बैठकें होती हैं और ऐसी बैठकों में, अनिपादित गैर जमानतीय वारंट के लंबित होने और पिछली बैठक से हुई प्रगति का पुनिर्वलोकन किया जाता है । इसी प्रकार, प्रशासनिक/ पोटफोलियो न्यायाधीश संबद्ध जिलों का दौरा करते हैं तो पुलिस अधीक्षकों को वारंट का निपादन शीघ्र करने का निदेश दिया जाता है । जिला न्यायाधीशों द्वारा बुलाई गई ऐसी बैठकों और अपने आकस्मिक दौरों के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अनुदेशों का कुछ परिणाम होता है । फिर भी, समस्या सारवान रूप से बनी हुई है । कुल मिलाकर पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तदर्थ है । जब कभी न्यायपालिका की ओर दबाव पड़ता है तो अभियुक्त को पकड़ने के लिए विशा दल बनाया जाता है कि कुछ समय पश्चात तीव्रता कम हो जाती है । उ. प्र. राज्य में, यह प्रतीत होता है प्रत्येक जिले में पुलिस का एक समन सेल है जिसे समन/वारंट के निपादन का कार्य सौंपा गया है। किन्तु या तो उसे सेल से जुड़े लोगों की संख्या अपर्याप्त है या उनकी सेवाएं प्रायः दूसरे काम के लिए लगाई जाती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वारंटों के निपादन हेतु सतत् ध्यान और निगरानी की आवश्यकता है । पुलिस कार्य के इस मद के लिए अपेक्षित ध्यान देने के लिए असली कठिनाइयों का अभिवचन करती है। यह सूज्ञात तथ्य है कि थानों में कर्मचारियों की कमी है और ठीक से सुसज्जित नहीं हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न राज्यों के जिला न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों से प्राप्त जानकारियों को ध्यान में रखते हुए, विधि आयोग का यह मत है कि समर्पित पुलिस कर्मियों को न्यायालय संबद्ध ड्यूटी अर्थात समन की तामीली और वारंटों के निपादन के लिए अनन्यतः लगाया जाए । प्रत्येक न्यायालय के लिए अपेक्षित कार्मिकों की संख्या 2 से 4 की परिधि में होनी चाहिए । ऐसे पुलिस कार्मिकों को पुलिस निरीक्षक (इस प्रयोजन के लिए अनन्यतः तैनात) के पर्यवेक्षण में कार्य करना चाहिए और निरीक्षक को प्रत्येक मास जिला न्यायाधीश को रिपोर्ट करनी चाहिए । उन्हें कम से कम 4 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और आवश्यक अ वसंरचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए । पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को न्यायालय संबद्ध ड्यूटी करने वाले इस पुलिस बल के कार्य का मानीटर करना चाहिए । ऐसे वरिठ पुलिस अधिकारी को क्षेत्र या जिले के समूह हेतू नामित होना चाहिए । ऐसे वरिट पुलिस अधिकारी की तैनाती उच्च न्यायालय के महारजिस्ट्रार के परामर्श से की जानी चाहिए । अनुकल्पतः, प्रत्येक थाने में न्यायालय संबद्ध ड्यूटी के लिए अनन्यतः तैनात हेड कान्स्टेबल और कान्स्टेबलों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए । उनके पास लाक-अप सेल के साथ अतिरिक्त आवास जैसी पर्याप्त अवसंरचना होनी चाहिए । थाना प्रभारी को की गई प्रगति के ब्यौरे देते हुए संबद्ध न्यायालयों का मासवार या द्विमासवार रिपोर्ट भेजनी चाहिए ।

- 9.3 कुछ क्षेत्रों का यह सुझाव था कि नियमित काडर बनाए जाने तक इन कर्तव्यों के लिए ऐसे सशस्त्र आरक्षित पुलिस को लगाया जाए जिनके पास अधिक कार्य नहीं है । तथापि, नियमित पुलिस विशेा पुलिस कार्मिकों को आवश्यक सहायता देने के उत्तरदायित्व से नहीं बचेंगे ।
- 9.4 इस बाबत कोई निदेश देने के पूर्व, संभवतः यह आवश्यक है कि राज्य सरकारों को नोटिस भेजी जाए और उनके विचार, यदि कोई हो, सुनिश्चित किया जाए । इसके पश्चात् पुलिस महानिदेशकों को अविलंब इस बाबत कार्रवाई आरंभ करने का निदेश दिया जाए ।
- इसी समस्या से जुड़ा एक और पहलू है जिस पर विशा रूप से विचार करने की आवश्यकता है । लगातार ऐसी सूचनाएं हैं कि अन्य राज्यों में रह रहे या रहने वाले अभियुक्त के विरुद्ध वांरट का निपादन एक विकराल समस्या है । कई वााँ से वारंट अनिपादित रहता है और राज्य के बाहर के अभियुक्त अनुपस्थित रहते हैं । सीजेएम या सेशन न्यायाधीश द्वारा पुलिस अधिकारी और/या अन्य राज्यों के सीजेएम को भेजी गई अध्यपेक्षा का अन्य राज्यों के पुलिस और न्यायिक अधिकारियों से उत्तर नहीं मिलता । कुछ मामलों में, ऐसे राज्य के पुलिस कार्मिकों जिसमें मामला लंबित है, को अभियुक्त का पता लगाने और गिरफ्तार करने के लिए अन्य राज्य में भेज दिया जाता है । फिर भी, वे अन्य राज्य की पुलिस के सहयोग से ही लापता व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकते हैं । प्रायः वह सहयोग भी तत्काल नहीं मिल पाता । विधि आयोग का यह मत है कि अन्य राज्य के संबद्ध एसएसपी/एसपी को उस न्यायालय द्वारा जिसमें मामला लंबित है. भेजी गई अध्यपेक्षा का पालन करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए और उस न्यायालय को जिसने वारंट जारी किया है, मास में कम से कम एक बार पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी भेजना आज्ञापक बनाया जाए । संसूचना इलेक्ट्रानिक या फैक्स द्वारा भेजी जानी चाहिए । संबद्ध न्यायालय से फैक्स और ई-मेल विशिटियां देनी अपेक्षित होगी । अन्य राज्यों के जिला न्यायाधीशों को वरिट पुलिस अधिकारियों के साथ अपने सम्मेलनों के दौरान उस राज्य जिसमें मामले पर विचार किया जा रहा है, के मजिस्ट्रेट/सेशन न्यायाधीश के न्यायालयों द्वारा जारी गैर जमानती वारंट को निपादित करने के लिए उठाए गए कदम की पुनर्विलोकन करना चाहिए । जिला न्यायाधीशों को सीजेएम/मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तृत जानकारी के आधार पर प्राप्त ऐसी अध्यपेक्षाओं के अभिलेख बनाए रखना चाहिए ।

#### 10. अभियोजन मशीनरी को मजबूत करना

जैसािक पहले इंगित किया गया है, अभियोजन मशीनरी में गड़बड़ी है । पीपी/एपीपी के कार्यों के प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए अभियोजन निदेशालय को स्वतंत्र शिक्तयों से सशक्त करने की आवश्यकता है । भर्ती/नियुक्ति प्रक्रिया मेरिट और अनुभव के आधार पर पारदर्शी और उद्देश्यपरक होनी चािहए । उनकी सेवाशर्तों में काफी सुधार की आवश्यकता है । गहन प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा सावधिक पुनर्विलोकन बैठकें होनी चािहए । यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पीपी/एपीपी की रिक्तियां तत्काल भरी

जाए । अतिरिक्त पदों के सृजन की भी परम आवश्यकता है ।

### 11. न्यायालयों की संख्या में वृद्धि और अविलंब रिक्तियों का भरा जाना :

अखिल भारतीय न्यायाधीश संगम<sup>19</sup> वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने अन्य देशों की विद्यमान स्थिति का तुलनात्मक मूल्यांकन कर यह निदेश दिया कि संसदीय स्थायी समिति (राज्यसभा) 85वीं रिपोर्ट<sup>20</sup> और भारतीय विधि आयोग द्वारा अपनी 120वीं रिपोर्ट $^{21}$  की सिफारिश के अनुसार दस लाख लोगों पर 50 न्यायाधीश होने चाहिए । न्यायालय ने यह ध्यान दिया कि तत्समय विद्यमान न्यायाधीशों की अनुमोदित संख्या प्र ाति दस लाख लोगों पर 10.5(या13) थीं । यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने यह निदेश दिया कि चरणबद्ध रीति में न्यायालयों में वृद्धि होनी चाहिए किन्तु थोड़ी ही प्रगति हुई है । कई राज्य सरकारें अनेक न्यायालयों के सुजन हेतू वित्तीय कठिनाइयों का अभिवचन देते हैं । कुल जनसंख्या पर वर्तमान न्यायाधीशों की अनुमोदित संख्या अनुपात की दृटि से प्रति दस लाख पर लगभग 15 हैं । जिला और अधीनस्थ न्यायापालिका में प्रति न्यायाधीश मामलों का अनुपात लगभग 1630 मामले हैं । यह अनुमोदित संख्या पर आधारित है । इसका दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि प्रत्येक समय, न्यायिक अधिकारियों की लगभग 20% रिक्तियां खाली पड़ी रहती है । यह भर्ती प्रक्रिया और प्रोन्नित में काफी विलंब के साथ उच्च न्यायालयों की ओर से उचित आयोजना की कमी के कारण है । इसके अतिरिक्त, विलंबित प्रोन्नितयां स्वभावतः सेवा के सदस्यों में काफी ई-र्या पैदा करती है ।

11.2 यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश राज्यों में त्विरत निपटान सेशन न्यायालयों के गठन से जहां तक सेशन न्यायालयों का संबंध है, लंबित मामलों की संख्या कम हो गई है । केन्द्रीय सरकार ने अप्रैल, 2011 से ऐसे न्यायालयों का निधिपोाण रोक दिया है । तथापि, कई राज्यों में, त्विरत निपटान सेशन न्यायालय मार्च, 2012 तक राज्य की ओर से निधिपोाण पर चल रहे हैं । जहां सेशन मामलों के निपटान में काफी प्रगित प्राप्त की गई है वहीं मिजस्ट्रेट न्यायालयों के लंबित मामलों की संख्या बढ़ी है । यह त्विरत निपटान सेशन न्यायालयों के गठन के परिणामस्वरूप विद्यमान रिक्तियों में और रिक्तियां जुड़ने से जूनियर सिविल मिजस्ट्रेटों को प्राप्त शीघ्र प्रोन्नित के कारण है । प्रथम वर्ग न्यायिक मिजस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मिजस्ट्रेट के कुछ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या हजारों में है और यह अव्यवस्थित स्तर तक है । इसको ध्यान में रखते हुए 13वें वित्त आयोग ने छोटे अपराधों और साधारण विायों वाले मामलों पर विचार करने के

<sup>19</sup> ए. आई. आर. 2002 एस.सी. 1752, पैरा 24 और 25.

<sup>20</sup> लाज डिले : एरियर्स इन कोर्ट्स (दिसम्बर, 2001), पैरा 38.2.

<sup>21</sup> मैनपावर प्लानिंग इन जुडिशियरी : एक अंतिम रूपरेखा (31 जुलाई, 1987) पैरा 9.

लिए भारी संख्या में त्विरित निपटान विशे मिजिस्ट्रेट न्यायालय (सायंकालीन न्यायालय/ पारी न्यायालय) गठित करने की स्कीम विकिसत की है । संक्षिप्त विचारण मामले, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन मामले, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन मामले, यातायात अपराध (मोटर यान अधिनियम से भिन्न मामले) इन मिजिस्ट्रेटों को सौंपे जाने हैं । आरंभ में, केन्द्रीय सरकार खर्च वहन करेगी । ग्राम न्यायालय के लिए भी भारी वित्तीय उपबंध किया गया है । इन न्यायालयों का चालू करने में कुछ व्यावहारिक कठिनाईयां महसूस की जा रही है । न्यायिक अधिकारियों और स्टाफ की कमी महसूस की जा रही है और उ० प्र० जैसे कुछ राज्यों में यह बतलाया गया है कि अधिवक्ता सायंकालीन/प्रातःकालीन न्यायालय के पक्ष में नहीं है ।

11.3 न्यायालयों की अपर्याप्त स्टाफ संख्या, आशुलिपिक और कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान रखने वाले स्टाफ जैसे आवश्यक पदों की भारी संख्या में रिक्तियां और अदक्ष स्टाफ की अनुगंगी समस्या है । इसके अतिरिक्त, बेवसाइट पर डाले गए आंकड़ों को तत्काल अद्यतन नहीं किया जाता है । जिला और मोफस्सिल क्षेत्रों में उचित मरम्मत सुिवधा की कमी के परिणामस्वरूप कम्प्यूटर एक साथ महीनों तक बिना मरम्मत किए या बिना सुधार किए पड़े रहते हैं । फिर भी, न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली भर्ती प्राक्रिया को परिशोधित करने की आवश्यकता है जिससे कि दक्ष और सक्षम उम्मीदवारों को सिम्मिलित करने में सुविधा मिल सके ।

#### 12. अन्य मुद्दे :

12.1 नए न्यायालयों के गठन और रिक्तियां भरने से संबंधित मुद्दों पर 2006 के सी.ए. सं. 1867 (मिलक मजहर सुल्तान बनाम संघ लोक सेवा आयोग) और 2008 की रिट याचिका (सि.) सं. 122, जनिहत मंच बनाम भारत संघ वाले दो मामलों में माननीय न्यायमूर्ति डी. के. जैन की अध्यक्षता वाली न्यायपीठ के समक्ष इस माननीय न्यायालय का ध्यान आकृट किया गया । न्यायालयों की अवसंरचना से संबंधित विाय की मानीटरिंग 1989 की रिट याचिका सं. 1022 में भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षतावाली एक अन्य न्यायपीठ कर रही है । इसके अतिरिक्त, (इम्तियाज अहमद बनाम उ. प्र. राज्य<sup>22</sup>) के इस माननीय न्यायालय के हाल ही के निर्णय में भारतीय विधि आयोग को संबद्ध पणधारियों से परामर्श के पश्चात् देश में आवश्यक अतिरिक्त न्यायालयों की संख्या सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया ।

इसको ध्यान में रखते हुए, संभवतः इस माननीय न्यायपीठ के लिए गहनता से न्यायालयों की अपर्याप्त संख्या और अवसंरचना से संबंधित मुद्दे पर विचार करने की आ वश्यकता नहीं है ।

12.2 समन और वारंट की तामीली के लिए दंड न्यायालयों से जुड़े समर्पित पुलिस

<sup>22</sup> पूर्वोक्त टिप्पण 18, पृठ 15 पर .

कार्मिकों की आवश्यकता पर उपरोक्त पृठ 26 पैरा 9.1 पर विचार किया गया है । यह आवश्यक है कि समस्या की गंभीरता और आपराधिक न्याय को गति प्रदन करने की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह माननीय न्यायालय इस बाबत राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को समुचित निदेश दे ।

12.3 विधि और व्यवस्था कर्तव्यों से अन्वाण का पृथक्करण : कुछ पुलिस थानों के सिवाय प्रकाश सिंह<sup>23</sup> वाले मामले में दिए गए निदेशों को अब तक पालन नहीं किया गया है । आयोग इस कारण सर्वप्रथम इस पहलू पर चर्चा नहीं करता है कि उच्चतम न्यायालय का पहले ही एक निदेश है ; दूसरा ऐसे पृथक्करण की सिफारिश करते हुए पहले ही विधि आयोग (154वीं रिपोर्ट) है, और तीसरा इसमें विरेठ और किनठ स्तर के पुलिस कर्मचारियों दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया होते हैं जो समय लगने वाली प्रक्रिया है ।

#### आपराधिक न्याय का सुधार करने के अन्य महत्वपूर्ण उपाय

- 13.1 यह प्रस्तुत किया गया है कि इस आशा में आपराधिक न्याय में गति लाने के लिए आदर्शतः दो महत्वपूर्ण कदम अपेक्षित है कि यह दोासिद्धि दर को बढ़ाएगा । ये इस प्रकार हैं :
  - (क) पुलिस थानों के स्तर पर तकनीक लगाना ।
  - (ख) दंड न्यायालय अवसंरचना को मजबूत करना और इसमें सुविधाओं और प्रसुविधाओं का उन्नयन करना ।

सम्यक् आयोजना के पश्चात् चरणबद्ध रीति में यह कदम उठाए जाएं ।

#### उपरोक्त दो शींकों के अधीन विस्तृत सुझाव इस प्रकार हैं :

- 14. पुलिस थानों में तकनीक का लगाया जाना
- (क) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का दर्ज किया जाना: यह लगता है कि कई दोामुक्तियां विलंब, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में घटना के समय का ठीक उल्लेख और आवश्यक ब्यौरों के अभाव के कारण होती है । इस एकल कारक को पुलिस थानों में सभी लैंडलाइन फोनों पर अनिवार्य और स्वचालित अभिलेख की व्यवस्था कर दूर किया जा सकता है । पुलिस के जवाबी समय को कम करने के लिए क्षेत्र में तैनात पुलिस के सभी गश्ती थानों में पुकारने वाले और पुलिस थाना आपरेटर के बीच टेलीफोन संवाद के स्वचालित रिले का भी उपबंध होना चाहिए । घटनास्थल पर तत्काल संदिग्ध के पूर्ववृत्त/यान/दस्ता

<sup>23 (2006) 8</sup> एस. सी. सी. 1.

वेज आदि के जानने के लिए पुलिस नेट के साथ गश्ती यान को जोड़ा जाना चाहिए । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट कम्प्यूटर पर दर्ज किया जाना चाहिए और उसे तत्काल ई-मेल द्वारा मजिस्ट्रेट के न्यायालय को भेजा जाए । ई-मेल द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के भेजे जाने को विधिक मान्यता प्रदान की जाए । इसी प्रकार, धारा 161 के कथनों को कम्प्यूटर पर डाला जाए और संबद्ध न्यायालय की बेवसाइट पर डाला जाए ।

#### (ख) पुलिस थाना : आधुनिकीकरण :

- (i) सभी न्यायालयों से जोड़ने के लिए सभी पुलिस थानों की नेटवर्किंग :
- (ii) पुलिस थानों पर डिजिटल वीडियोग्राफी लगाया जाए । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट/ परिवाद प्राप्त करते समय, वीडियोग्राफी अनिवार्य बनाया जाए । इस प्रक्रिया द्वारा, इत्तिलाकर्ता का सर्वप्रथम बयान स्पट होगा । इसी प्रकार, अपराधस्थल के निरीक्षण और तात्विक सामग्री की बरामदगी के समय पर भी वीडियोग्राफी पर जोर दिया जाना चाहिए।
- (iii) पूछताछ कक्ष : प्रत्येक पुलिस थाने में एक पूछताछ कक्ष की व्यवस्था की जाए जिनमें दो कैमरे द्वारा साथ-साथ दृश्य-श्रृव्य अभिलेखन सुविधायुक्त एक कैमरा साक्षी या संदिग्ध के चेहरे पर फोकस करता हो और दूसरा व्यापक तस्वीर खींचता हो, जो यह दिशत करे कि साक्षी या संदिग्ध के कथन को प्रभावित करने के लिए कोई प्रपीड़न नहीं किया गया है । विधि के अनुसार सभी संदिग्धों और साक्षियों के कथन दो दीवारों पर सीसायुक्त खिड़कीरहित पूछताछ कक्षों में अभिलिखित किया जाना अपेक्षित है । सुरक्षित पूछताछ कक्षों में अभियुक्त के कथनों और परीक्षा किए गए साक्षियों के कथनों को ग्राह्य मानने के प्रश्न पर गंभीर विचार किए जाने की आवश्यकता है ।
- (ग) चल न्यायालियक गाड़ी: कम से कम सभी जिला मुख्यालयों में ऐसी चल न्यायालियक गाड़ी उपलब्ध कराई जाए जिसके साथ घटना स्थल पर मानवघाती टीम हो । चल न्यायालियक गाड़ी में अपराध स्थल से अंगुलिछाप और रक्त नमूने लेने की सुविधाओं के अलावा स्थल पर ही तत्काल रक्त परीक्षण और अंगुलिछाप मिलान का भी उपकरण होना चाहिए । गाड़ी में अपराध स्थल और स्थल पर तलाशी और अभिग्रहण की वीडियो रिकार्डिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए । ऐसे जिलों में जहां एनडीपीएस अपराध अधिक होते हैं वहां प्रत्येक पुलिस थानों में, स्वापक ओाधि परीक्षण किट की भी व्यवस्था होनी चाहिए ।
- (घ) सी.डी. द्वारा आरोप पत्र : जहां कहीं ऐसी सुविधा हो, सभी आरोपपत्रों को गैर-पुनर्लेख्य कम्पैक्ट डिस्क के इलैक्ट्रानिक प्ररूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होना चाहिए । इस प्रयोजन के लिए धारा 173 में उपयुक्त संशोधन पर विचार किया जा सकता है । पुलिस से उतनी सी.डी. पेश करने की अपेक्षा हो सकती है जितने अभियुक्त आरोपपत्र में उल्लिखित हैं । यह विलंब को काफी कम करेगा जो सेशन

न्यायालयों द्वारा विचारणीय मामलों में होता है।

#### 15. आपराधिक न्यायालयों की अवसंरचना को मजबूत करना और उसमें सुविधाओं का उन्नयन करना

- 1. **उचित अभिकल्पित न्यायालय परिसर :** यह आवश्यक है कि उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे दंड न्यायालय परिसर का मानक डिजाइन विहित किया जाए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ साक्षियों, विचाराधीन कैदियों, पुलिस कर्मिकों, अधिवक्ताओं और अभियोजको के पृथक्-पृथक् कक्ष हों और प्रसाधन तथा स्वच्छ पेय जल सुविधा की पर्याप्त व्यवस्था हो ।
- 2. समन, आदि की तामीली: सभी न्यायालय नोटिसें, उपस्थिति के समन या दस्तावेज पेश करने के लिए समन की तामीली ई-मेल के माध्यम से की जाए और पाने वाले के ई-मेल के अभाव में, ऐसे पुलिस थाने के ई-मेल के माध्यम से की जाए जो ई-मेल के माध्यम से साप्ताहिक आधार पर तामीली से संबंधित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सरकारी साक्षियों से संबंधित तामीली में विलंब को दूर करने के लिए समन ई-मेल के माध्यम से भेजा जा सकता है या यदि ई-मेल आईडी सुनिश्चेय नहीं है तो समन विभागाध्यक्ष को भेजा जा सकता है । (उदाहरणार्थ, जिला चिकित्सा अधिकारी जिसका अस्पतालों पर प्रशासनिक नियंत्रण है ।)

विचाराधीन कैदियों को सभी जमानत आदेशों की संसूचना ई-मेल के माध्यम से कारागार को दी जाए ।

- 3. **साक्ष्य का अभिलेखन :** सभी दंड न्यायालयों को साक्षियों के कथनों का अभिलेखन करने के लिए रद्दोबदल रहित तकनीक द्वारा श्रृव्य अभिलेखन उपकरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे कि अपील न्यायालय भी साक्षियों द्वारा किए ठीक-ठीक कथन का अवधारण करने के लिए इसे निर्दिट कर सकें।
- 4. **मशीन :** सभी दंड न्यायालयों को प्रतिलेखन मशीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिसकी सहायता से श्रृव्य अभिलिखित कथनों का स्वतः अभिलेखन हो सके और उसी दिन काउंसेलों और साक्षियों को दी जा सके
- 5. **कांफ्रेसिंग :** विचाराधीन कैदियों और पुलिस अधिकारियों के बीच परस्पर संवाद के लिए वीडियों कान्फ्रेसिंग सुविधा दिए जाने की आवश्यकता है । इसी प्राकार, वीडियो-कान्फ्रेसिंग उच्च न्यायालय और जिला न्यायाधीशों के बीच परस्पर संवाद के लिए भी बहुत उपयोगी होगा । यह काफी समय और संसाधन बचाएगा और अविलंब औपचारिकताओं को पूरा करने में सहायता करेगा ।

- 6. साक्षी कक्ष: सभी दंड न्यायालयों में पृथक साक्षी कथन की व्यवस्था की जानी चाहिए जहां ऐसे साक्षी जिन्हें विभिन्न न्यायालयों में समन किया गया है, के आरामदेह बैठने, पेयजल, पेशाबघर, चाय/काफी मशीन और कुछ पठन सामग्री की सुिवधाओं की व्यवस्था हो । यह समझने की आवश्यकता है कि साक्षी न्यायालय की आंख और कान है और न्यायालयों को न्याय देने में न्यायालय की आवश्यकता से अधिक उनकी आवश्यकता है । यह उन्हें तंग होने से बचाने में भी सहायक होगा जो उन्हें अभियुक्त से झेलना पड़ता है क्योंकि वे भी उसी कारीडोर में प्रतीक्षा करते हैं ।
- 7. केन्द्रीयकृत रिजस्ट्री: एक ही या नजदीकी परिसर में स्थित सभी दंड न्यायालयों के लिए प्रत्येक न्यायालय के लिए पृथक अभिलेख रखने की जगह के बजाय केन्द्रीयकृत अभिलेख कक्ष होना चाहिए । केन्द्रीयकृत अभिलेख भंडारण यह सुनिश्चित करेगा कि फाइल के सुसंगत भाग को जब कभी अपेक्षित हो, संबद्ध न्यायालय के समक्ष रखा जाए ।
- 8. **आशुलिपिक:** उच्च वेतनमान और सुविधाएं प्रस्तावित कर कम्प्यूटर प्राचालन और अनुरक्षण की अच्छी जानकारी वाले सक्षम आशुलिपिकों को न्यायिक सेवा की ओर आकृट किया जाए ।

ह0/-(न्यायमूर्ति पी. वी. रेड्डी) अध्यक्ष

ह0/-(न्यायमूर्ति शिव कुमार शर्मा) सदस्य ह0/-(अमरजीत सिंह) सदस्य

(डा० ब्रह्म अग्रवाल) सदस्य सचिव

### उपाबंध (दंड प्रक्रिया संहिता में कतिपय उपबंधों का परिवर्धन)

(पृठ 24 देखें)

#### दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 477 का संशोधन

(ङ) लंबी अवधि से लंबित मामलों या लोक प्रशासन या लोक हित पर अपना प्रभा व डालने वाले ऐसे प्रवर्ग या वर्ग के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए पर्यवेक्षण और मानीटरिंग की व्यवस्था करना ।

[नियम में प्रशासनिक और न्यायिक दोनों पर्यवेक्षण का उपबंध हो सकता है]

#### दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 483 का संशोधन :

विद्यमान उपबंध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :

- [1] प्रत्येक उच्च न्यायालय इस प्रकार
- [क] इस संहिता के अधीन उसके अधीनस्थ सभी न्यायालय ; और

[ख] ऐसे न्यायालय जिसके आदेश या निर्णय के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण उच्च न्यायालय में लाई जाती है पर अपने अधीक्षण का प्रयोग करेगा जिससे कि ऐसे न्यायालयों द्वारा मामलों का शीघ्र उचित निपटान सुनिश्चित किया जा सके

[2] लोक अभियोजक, परिवादी या पीड़ित/क्षतिग्रस्त या मृतक की ओर से कोई अन्य व्यक्ति अधीक्षण की उपरोक्त शक्ति के प्रयोग की मांग के लिए उच्च न्यायालय में आ वेदन कर सकेगा ।

#### नया उपबंध धारा 157क

असंज्ञेय मामलों के अन्वाण से संबंधित धारा 155 की उपधारा (2) के अधीन आदेश पारित करने के पश्चात् या संज्ञेय मामलों के अन्वाण से संबंधित धारा 156 की उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् संबद्ध न्यायालय, स्वप्रेरणा से या लोक अभियोजक द्वारा या मृतक, क्षतिग्रस्त या अपराध से पीड़ित व्यक्ति की ओर से कार्य कर रहे किसी अन्य व्यक्ति के आवेदन पर मामले के अन्वेण से संबंधित जानकारी मंगा सकेगा और ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो अन्वोण की रीति पर किसी तरह का प्रातिकूल प्रभाव डाले बिना शीघ्र अन्वोण सुकर बनाने के लिए आवश्यक हो ।